भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA

K 275258

इकरारनामा

हम, विजय कुमारी विध्वा (आधार कार्ड नम्बर 3240 5672 7119), सरिता गुप्ता (आधार कार्ड नम्बर 6033 3454 3084) व सोनिया गुप्ता आधार कार्ड नम्बर (5874 3782 8082) पुत्रीयान तथा आशीश गुप्ता (आधार कार्ड नम्बर 9856 4479 9314) पुत्र स्व. श्री कुलदीप चन्द गुप्ता पुत्र स्व. श्री विलायती राम गुप्ता निवासीयान मकान नम्बर 11-बी, अशोक नगर, अम्बाला छावनी के है।

जो कि हम ग्राम बब्याल तहसील व जिला अम्बाला खसरा नम्बर 45//25 मे मकान नम्बर 11-बी, अशोक नगर, अम्बाला छावनी रकबा 200 वर्गगज, साईज 30 फुट गुण 60 फुट, जिसके दक्षिण मे रास्ता लगता है के मालिक व काबिज वजरिये विरासत इन्तकाल नम्बर 25883 की रुह से है। उक्त भूमि मकान का मालिक स्व0 कुलदीप चन्द गुप्ता था जोकि उनके द्वारा विक्रय पत्र प्रलेख नम्बर 1232/1 तिथि 16.05.1989 के जर खरीद थी। उनकी मृत्यू के बाद उक्त मकान हमे उनके कानूनी वारसान होने की रुह से विरासत मे प्राप्त है और आगे इस मकान को विक्रय करने का हमे पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है।

हमको अन्य कार्यो के लिए रुपयों की आवश्यकता है इसलिए हम विकेतान ने अपनी इच्छा से वा अपने पूरे होश-हवास में बिना किसी अनुचित दबाव के अपने उपरोक्त मकान नम्बर 11-बी, अशोक नगर, अम्बाला छावनी, रकबा 200 वर्गगज, जिसके दक्षिण मे रास्ता लगता है को विक्रय करने का इकरार बिलमुक्ताा बदले अंकित 54,00,000/-रुपये (अंकित चौवन लाख रुप्ये) मे खरीददार श्रीमति सुदेश कुमारी (आधार कार्ड नम्बर 2355 5227 0993)

27/01/23. Gupta

Vijay Kumari

हस्ताक्षर विकेतान

NOTARY GOVT OF INDIA Manoj Kumar Advocate Distt. Ambala Regd. No 7609

17773

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA

K 275259

पुत्री श्री रेवती प्रसाद व पत्नी श्री अमित कुमार निवासी 7, निकट वाटर पैम्प नवादा शेखान, बरेली, यू.पी. के साथ तय करके बतौर ब्याना अंकित 7,50,000/–रुपये (अंकित सात लाख पच्चास हजार रुप्ये) द्वारा चैक नम्बर 465865 तिथि 27.01.2023 जारीकर्ता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश खरीददार से प्राप्त कर लिया है और बकाया रकम खरीददार से अन्दर मियाद दिनांक 27.04.2023 तक समक्ष श्रीमान सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री तसदीक करवाते समय प्राप्त करेगे। यदि खरीदार ने अन्दर मियाद बकाया रकम अदा न की तो ब्याना जब्त होगा। यदि हमने अन्दर मियाद रजिस्ट्री करवाने से इंकार किया तो खरीददार को हक होगा कि वह इकरारनामा की रुह से बकाया रकम अदालत के द्वारा अदा करके इसकी रजिस्ट्री तसदीक करवा लेवे या ब्याने का डबल वसूल कर लेवे इसमें हमे कोई एतराज न होगा। खर्चा रजिस्ट्री हर प्रकार का खरीददार स्वयं अदा करेगा। उक्त मकान मे कोई कानूनी व मलकियती दोष नही है यदि कोई दोष हुआ तो उसकी हरप्रकार की जिम्मेवारी हम विक्रेतान की होगी। स्व0 कुलदीप चन्द गुप्ता जी ने अपने जीवतन काल के दौरान उक्त मकान पर बैंक से लोन लिया हुआ है जोकि अभी मकान पर लोन चल रहा है रजिस्ट्री से पहले इस लोन को चुकता करवाकर देने की जिम्मेवारी हम विक्रेतान की होगी। रजिस्ट्री से पहले मकान के उपर जितने भी हाउस टैक्स, बिजली, पानी आदि के बिल आदि बकाया होंगे उन सबको क्लीयर करवाकर देने की जिम्मेवारी हम विक्रेतान की होगी। इस इकरारनामे के हम दोनों पक्ष व हमारे वारसान पूर्ण रुप से पाबन्द व जिम्मेवारी रहेंगे।

Vijay Kumari

हस्ताक्षर विक्रेतान

27-1-23.

NOTARY / GOVT OF INDIA
Manoj Kumar
Regn No. 7609

नोटः- यह कि उपरोक्त ब्याना अंकित 7,50,000/-रूपये (अंकित सात लाख पच्चास हजार रूप्ये) का चैक सरिता गुप्ता के नाम से देने मे हम विकेतान को कोई एतराज ना है और ना ही भविष्य मे होगा।

अतः यह इकरारनामा गवाहों के समक्ष लिखवाकर, पढकर, सुनकर, सही माना और दोनो पक्षों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया ताकि प्रमाणित हो ओर समय पर काम आवे। लेख तिथिः- 27.01.2023

Vijay Kumar

विकेतान पक्षगण

गवाहः-

गवाहः-

27/01/23

खरीददारः- सुदेश कुमारी

NOTARY / नोटरी
Manoj Kumar
Jindal
Advocate
Distt. Ambala
Regd. No.
7609
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
27/1/2023
NOTARY
Distt. AMBALA

27 8/2023
832286

7630 4226235

SANDEEP MITTAL
STAMP VENDOR
Sub Tehsil, Ambala Cantt

27/01/2023
33286

Supr [illegible] 11 B

7630 4826 6255

SANDEEP MITTAL
STAMP VENDOR
Sub Tehsil, Ambala Cantt

[illegible] 27/01/23 Vijay Kumari [illegible] [illegible] [illegible]